न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपवास जिला भरतपुर

दावा स0 50/16

1– वेदप्रकाश पुत्र भैरो जाति धीमर निवासी रूपवास तहसील रूपवास जिला भरतपुर
वादी

बनाम

1– किशनसिह
2– गोपालसिह | पिसरान भैरो
3– बिष्णु कुमार
4–रोहताश
5– महेन्द्रपाल
6– मनोरमा पुत्री भैरों
7– राजवती वेवा भैरों |जातियान कहार निवासीयान रूपवास जिला भरतपुर
असल प्रतिवादीगण

8– राजस्थान सरकार तामील जरिये तहसीलदार रूपवास
तरतीवी प्रतिवादी

पीठासीन अधिकारी :– श्री पी0आर0मीना आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी रूपवास

निर्णय दिनांक 22/5/18

सक्षेपतः दावे के तथ्य निम्न प्रकार है। वादीगण ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा188,53 आरटीए के तहत वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि विवादित आराजी खसरा न0 269/52 रकवा 2–10, बाके ग्राम भिडियानी तहसील रूपवास में स्थित है। उक्त विवादित आराजी वादी व प्रतिवादीगण को अपने मूरिस आला स्व 0 भैरो के देहावसान के वाद विरासतन प्राप्त हुई हैं जिसको वादी प्रतिवादीगण सयुक्त रूप से शामिल रहकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। उक्त आराजी घौलपुर भरतपुर मुख्य सड़क के किनारे स्थित है। जिसके कारण प्रतिवादीगण के मन में वेईमानी आ गई है। दिनांक 19.4.16 को समस्त प्रतिवादीगण ने मौके पर आकर धमकी दी कि हम विवादित आराजी पर सड़क के सहारे वाले हिस्से पर जबरन ताकत क`वल पर कब्जा कर तुमको बेदखल कर देगें और तुमको काश्त नही करने देगे । वादी का अव शामिल काश्त करना सम्भव नही रहा है अतः वादी वाई मीटस एण्ड बाउण्डस विभाजन कराया जाना आवश्यक हो गया है । यदि असल प्रतिवादीगण अपने उपरोक्त उददेश्य में सफल हो गये तो वादी को अपर्णनीय क्षति होगी जिसकी भरपाई पैसों से नही की जा सकती हे । वादी अपने हकूको की रक्षा करने हेतु वाई

उपखण्ड अधिकारी
रूपवास (भरतपुर)

मीटस एण्ड बाउण्डस विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा का न्यायालय श्रीमान के यहाँ प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। इसी बजह से वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। दावा अन्दर म्याद पेश है। वादकरण का कारण दिनांक 19.4.16 को दिये जाने धमकी के कारण पैदा हुअ ।

अतः प्रार्थना हे कि वाद वादी निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे । असल प्रतिवादीगणो को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पावन्द फरमाया जावे कि वह वादी को आराजी खसरा 269/52 रकवा 2–10 बीघा बाके ग्राम भिडयानी में उसके हिस्से आराजी के स्वतन्त्र उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा पैदा नही करें उसको शान्तिपूर्वक काश्त करने देवे । वादी व प्रतिवादीगण के मध्य विवादित आराजी का वाई मीटस एण्ड बाउण्डस विभाजन कराया जावे ।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण असल को जरिये सम्मन तलब किया गया । पत्रावली दिनांक 25.6.16 को राजस्व कोर्ट चैकोरा में प्राथमिक डिकी के आदेश पारित किये गये । तहसीलदार रूपवास द्वारा कुरे बनाकर प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया ।

दिनांक 22–5–2018 को राजस्व अभियान कोर्ट कैम्प चैकोरा में प्रस्तुत हुई । तहसीलदार रूपवास द्वारा कुरे रिपोर्ट प्रस्तुत किये जो सामिल पत्रावली है। कुरे रिपोर्ट निम्न प्रकार है।

कुरा न01– किशनसिह, गोपाल, वेदप्रकाश वालिगा विष्णु कुमार रोहताश महेन्द्रपाल नाबालिग कौम कहार सा.रूपवास खातेदार सरपत्र माता राजवती खुद खसरा न0 485/52 रकवा 2–00 बीघा

कुरा न02– मनोरमा नाबालिग पुत्री भैरों कौम कहार साकि रूपवास खातेदार सरपस्त माता खुद राजवती खसरा न0 486/52/0–05 बीघा

कुरा न03– राजवती वेवा भेंरों कौम कहार सा0 रूपवास खातेदार खसरा न0 487/52 रकवा 0–05 बीघा

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात व रिकार्ड का अवलोकन किया । कुरेजात रिपोर्ट का राजस्व रिकार्ड से मिलान किया गया । कुरेजात रिपोर्ट के आधार पर दावा डिकी किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि दावा वादी विरूद्व प्रतिवादीगण कुरेजात रिपोर्ट के आधार पर डिकी किया जाता है। कुरेजात रिपोर्ट डिकी का जुज रहेगा । पर्चा डिकी कायम हो ।

निर्णय राजस्व कोर्ट कैम्प चैकोरा में सुनाया गया ।

21/5/19

उपखण्ड अधिकारी
रूपवास